भारत में महिला सशक्तिकरणः राजस्थान के संदर्भ में

*डॉ. राजेन्द्र प्रसाद मीणा
**मंजू कंडीरा

शोध सारांश

महिलाओं की उन्नति या अवनित पर ही किसी देश व प्रदेश की उन्नति या अवनति आधारित है। सृष्टि का सृहन एवं संचालन महिलाओं के बिना संभव नहीं है। महिलाओं का मातृ रूप प्रकृति का अनमोल वरदान है। महिला एवं पुरूष प्रत्येक समाज और संस्कृति में समाज के अंग होते हैं। एक के बिना दूसरे की अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती, परन्तु परिवार, समाज एवं राज्य की कार्य प्रणाली परम्परागत रूप से पितृसत्तात्मक रही है जिसमें पुरूष हमेशा से ही नियंत्रक और निर्देशक की भूमिका में रहा और महिलायें उसके अधीन रहीं। महिलाओं को विकास की मुख्यधारा से जोड़े बिना किसी भी समाज राज्य या देश के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस संबंध में यह भी कहा गया है कि मानव जाति की सभ्यता को गहनता से समझने या उस सभ्यता की उपलिब्धयों का और उसकी श्रेष्ठता का मूल्यांकन करना हो तो उस सभ्यता की महिला जाति की दशा का अध्ययन किया जाना समीचीन होता है, जो उस सभ्यता के समग्र मूल्यांकन का सर्वोतम आधार है। महिलायें न केवल परिवार का केन्द्र बिन्दु होती है बल्कि वह समाज का दर्पण भी है। राष्ट्र के विकास रूपी रथ के दो पहिए पुरूष और महिला है, इनमें से एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं है। इसी प्रकार महिला सशक्तिकरण के बिना कोई भी राष्ट्र का, सभ्यता का विकास नहीं हो सकता।

ऐतिहासिक परिदृश्य पर दृष्टि डाली जाये तो पता चलता है कि समय और काल के अनुसार महिलाओं की स्थिति में व्यापक परिवर्तन मिलता है। जहाँ सिंधु सभ्यता के समय मातृसतात्मक परिवार था तथा मातृशक्ति की पूजा होती थी। भारत की वैदिक परम्परा यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, तत्र रमन्ते देवता की रही है। इस समय पारिवारिक एवं सामाजिक क्रियाकलाप महिला एवं पुरुष एक साथ मिलकर सम्पन्न करते थे। पत्नी के रूप में महिला निश्चित ही पति की अर्द्धांगिनी होती थी। इस काल में पर्दा प्रथा नहीं थी। विधवा पुनर्विवाह का प्रचलन था। महिलाओं को शिक्षा के समान अवसर प्राप्त थे। वैदिक साहित्य में भी यह उल्लेख है अहिल्या, द्रौपदी, कुन्ति, तारा, मन्दोदरी इन पांच कन्याओं का नित्य स्मरण करने से महापापों का नाश होता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इस समय महिलाओं को आदरणीय स्थान प्राप्त था।

उत्तर वैदिक काल में भी महिलाओं का मान, सम्मान व प्रतिष्ठा में कोई कमी नहीं थी। गार्गी, मैत्रेयी, विदग्धा आदि विदुषियां आध्यात्मिक चर्चाओं में सक्रिय रूप से भाग लेती थीं, जो कि समानता का प्रतीक है। इस समय महिलायें सेना, शासन व राज व्यवस्था में सक्रिय व प्रभावी थी। इस समय बहुविवाह व विधवा विवाह प्रचलित थे परन्तु बाल विवाह नही होते थे। महिलाओं के लिए शिक्षा की समुचित व्यवस्था थी तथा वे सामाजिक व धार्मिक समारोहों में

भाग ले सकती थीं। सूत्रकाल में महिलाओं की प्रस्थिति में कुछ गिरावट आने लगी थी। इस काल में महिलाओं को स्वतंत्रता के योग्य नहीं माना गया परन्तु विवाह को एक पवित्र बन्धन माना जाता था। बहुविवाह व सतीप्रथा का प्रचलन था। विधवा महिलाओं को सम्पत्ति पर अधिकार था तथा अनाथ महिलाओं को राजकीय कर में छूट थी। महाकाव्य काल में महिलाओं की प्रस्थिति में कुछ गिरावट दृष्टिगोचर होने लगी। इस समय बालिकाओं का उपनयन संस्कार बंद हो गया, विवाह की आयु कम कर दी गई। बालिका शिक्षा के अवसर कम हो गये। फिर भी इस समय महिलाओं को समृद्धि की देवी कहा जाता था। बाल विवाह का प्रचलन नहीं था परन्तु बहुविवाह तथा अन्तर्जातीय विवाह होते थे। सती प्रथा, पर्दा तथा नियोग प्रथा के उदाहरण मिलते है।

बौद्ध व जैन धर्म काल में महिलाओं की सामाजिक व शैक्षणिक आधिकारों में कमी दृष्टिगोचर होती है। महात्मा बुद्ध सदैव महिलाओं से सशंक्ति थे तथा उनके संघ में प्रवेश के तथा दास प्रथा के विरोधी थे। सती प्रथा व पर्दा प्रथा का प्रचलन था। इस समय अनेक विदुर्षी बौद्ध भिक्षुणियों के भी उदाहरण मिलते हैं। जैन धर्म में महिलाओं के लिए संघ में प्रवेश खोल दिये गये थे। बहुत सी महिला श्रमणियों का उल्लेख भी मिलता है। मौर्यकाल में विधवा विवाह की स्वतंत्रता थी तथा वह महिला धन तथा पति के अत्याचारों के विरूद्ध न्यायालय में दावा करने की भी हकदार थी। महिलाओं के साथ अत्याचार करने वाले के लिए दण्ड का प्रावधान था। इस समय पर्दा प्रथा, बहुविवाह प्रथा प्रचलित थी। शुंगकला, सातवाहन काल व कुषाण काल में भी महिलाओं की स्थिति अच्छी थी तथा उनका समाज में सम्मानपूर्ण स्थान था। इस समय शिक्षा की व्यवस्था थी तथा पर्दा प्रथा नहीं थी। विधवा विवाह होते थे तथा सती प्रथा प्रचलन नहीं था तथा महिलायें स्वतत्रंतापूर्वक विचरण कर सकती थीं। इस समय महिलाओं को सम्पत्ति सबंधी अधिकार को मान्यता थी। विधवा महिलाओं की दशा अच्छी नहीं थी। सती प्रथा का भी प्रचलन था।

हर्षवर्धन काल में महिलाओं की प्रस्थिति में गिरावट आ गई थी। इस समय पुनर्विवाह नहीं होते थे तथा सती प्रथा व पर्दाप्रथा का प्रचलन था। बाल विवाह का प्रचलन था, जिससे महिलाओं को शिक्षा के अवसरों में कमी आ गई थी।

राजपूतकालीन समाज में राजपूत नरेश महिलाओं का विशेष ध्यान रखते थे तथा उनकी मान–मर्यादा व सत्तीत्व की रक्षा करते थे। स्वयंवर प्रथा से विवाह होते थे। समाज में बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा का प्रचलन था। विधवाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी। कुछ महिलाओं शिक्षित एवं विदुषी भी थीं। इस समय महिलाओं के सम्पत्ति संबंधी अधिकार को मान्यता प्रदान कर दी गई थी। मध्यकाल में विदेशी आक्रमणकारीयों ने भारतीय धर्म एवं संस्कृति को नष्ट करने के अनेक प्रयास किये, जिससे महिलाओं के सम्मान में क्षति हुई, जिसके फलस्वरूप समाज में सती प्रथा, जौहर प्रथा, बाल विवाह, अनमेल विवाह, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा व कन्या वध जैसी कुरीतियों का प्रचलन हो गया। विधवाओं का जीवन कष्टमय हो गया। इस युग को महिलाओं के लिए अंधकार का युग कहा जाता है। इस समय बालिकाओं की औपचारिक शिक्षा व्यवस्था बंद कर दी गई थी। ब्रिटिश शासन काल में पाश्चात्य शिक्षा एवं कुछ समाज सुधारकों प्रयासों के कारण महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार की किरणें दिखने लगी थीं। सन् 1869 में कन्यावध पर प्रतिबंध लगाया गया। राजा राम मोहन राय ने में पर्दा प्रथा, सती प्रथा और बाल विवाह के विरूद्ध तथा ईश्वरचंद विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह एवं महिला शिक्षा के लिए आवाज उठाई। स्वामी दयानन्द सरस्वती, स्वामी विवेकानन्द, महात्मा गांधी, डॉ भीमराव अम्बेडकर ने महिलाओं को राजनीतिक व सामाजिक अधिकार दिलाने का प्रयास किया। सन् 1929 में पहली बार अखिल भारतीय महिला सम्मेलन हुआ, जिसमें महिला शिक्षा, समान नागरिक अधिकार के अवसर की समानता की मांग तथा बाल विवाह, बहु विवाह, दहेज प्रथा के विरूद्ध कार्यवाही करने का संकल्प पारित किया गया। भारतीय दण्ड संहिता, 1800 की धारा 354 में महिला की लज्जा भंग को, धारा 376 में बलात्कार को दण्डनीय अपराध घोषित किया गया। इस समय महिलाओं के अनेक संगठनों का उदय हुआ जिनमें भारत महिला परिषद् भारत महिला महामण्डल, भारतीय महिला संघ, भारतीय महिला राष्ट्रीय परिषद् अखिल

भारतीय महिला सम्मेलन आदि प्रमुख हैं जिन्होंने महिला अधिकारों के लिए आवाज उठाई।

स्वतंत्रता के बाद भारत में महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक राजनीतिक व वैधानिक अधिकार सम्पन्न बनाने के लिए अनेक प्रयास किये गये। भारतीय संविधान में विधि की दृष्टि में महिला व पुरूष की समानता स्वीकार कर तथा हिन्दुओं के विवाह विच्छेद और उत्तराधिकार संबंधी कानून बनाये जाकर महिलाओं के प्रति अन्याय के सिद्धांत का अन्त कर दिया गया। इसी भांति महिलाओं के हित में अनेक विधियां बनाई गई जिनमें हिन्दू विवाह अधिनियम 1935, विशेष विवाह अधिनियम 1954, पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1954, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, प्रसूति लाभ का अधिनियम 1961, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, गर्भवती उपचार अधिनियम 1971, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, बाल विवाह निषेध अधिनियम 1976, स्त्री अशिष्ट निरूपण अधिनियम 1986, सती निषेध अधिनियम 1987, प्रसव पूर्व निधान तकनीकी अधिनियम 1984, भारतीय तलाक अधिनियम 2001, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990, पंचायती राज अधिनियम 1994, घरेलू हिंसा के विरूद्ध संरक्षण का अधिनियम 2005, सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2010, महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र नियमन एवं अनुदान योजना 2010, लैंगिक हिंसा से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012, कार्य स्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीडन अधिनियम 2012, राजस्थान डायन प्रताड़ना अधिनियम 2015, किशोर न्याय (बाल देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 आदि महत्वपूर्ण हैं।

सिंधु सभ्यता से लेकर वर्तमान समय तक महिलाओं की सामाजिक स्थिति में व्यापक अंतर आया है परन्तु यह भी उल्लेखनीय है कि सम्पूर्ण ऐतिहासिक परिपेक्ष्य में महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं रही है तथा सदैव ही दोयम दर्जे का नागरिक मानी जाती रही है। महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु समय–समय पर अनेक प्रयास भी किए गए हैं, जिससे वे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं वैधानिक रूप से सशक्त भी हुई हैं। फिर भी महिला सशक्तिकरण की योजनाओं, कार्यक्रमों व नीतियों के संदर्भ में एक सम्पूर्ण शोध अध्ययन का अभाव पाया गया है, समाज में महिलाओं की असम्मानजनक स्थिति तथा उनका कई अंधविश्वासों, कुप्रथाओं के मकड़जाल में फंसे होने के कारण वास्तविक स्थिति का पता लगाने हेतु भी शोध अध्ययन को आवश्यक समझा गया है। ब्रिटिश काल एवं स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय स्तर व राज्य स्तर पर महिला सशक्तिकरण हेतु अनेक कार्यक्रम संचालित किए गए हैं। उनका महिला समुदाय पर हुए प्रभाव का आंकलन, मूल्यांकन हेतु भी एक सम्पूर्ण शोध की आवश्यकता महसूस की गई है। महिला सशक्तिकरण हेतु संचालित योजनाओं के प्रति महिला समुदाय को जागरूक करने तथा इस संबंध में व्यावहारिक पक्ष जानने के लिए इस अध्ययन की आवश्यकता समझी जाकर इस शोध अध्ययन को चुना गया है।

वर्तमान वैज्ञानिक युग के एवं महिलाओं की समाज में आबादी 50 प्रतिशत होने के बावजूद भी महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है। वह सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक रूप से तथा विकास की मुख्य धारा से पिछड़ी हुई है। राष्ट्र व समाज के विकास के लिए महिलाओं को सशक्त किया जाना आवश्यक है तथा इनके उत्थान व विकास के कार्यक्रमों की जानकारी व उनकी क्रियान्विति तथा उनके प्रभाव का अनुभव मूल्यांकन करना इस शोध अध्ययन की महत्ता को इंगित करता है। इस शोध अध्ययन का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण हेतु केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रमों की विशेष रूप से राजस्थान के अजमेर व टोंक जिलों के संदर्भ में कार्यक्रमों की सफलता तथा उनके प्रभाव का आंकलन कर उनका विश्लेषण प्रस्तुत करना है। राष्ट्रीय महिला आयोग, राज्य महिला आयोग के साथ–साथ महिलाओं के सशक्तिकरण की नीतियों का विवेचन कर उनकी उपादेयता के प्रयासों का अध्ययन के साथ निष्कर्ष व सुझाव प्रस्तुत करना भी शोध अध्ययन का उद्देश्य रहा है। संक्षेप में इस शोध अध्ययन के उद्देश्य निम्न है– महिला सशक्तिकरण का अर्थ, महत्त्व एवं कार्यक्रमों, योजनाओं एवं नीतियों के संदर्भ में विश्लेषण करना, महिला विकास के लिए लागू की गई योजनाओं, कार्यक्रमों का आंकलन एवं विश्लेषण करना, राष्ट्रीय महिला आयोग एवं राजस्थान राज्य महिला आयोग तथा महिला अधिकारिता निदेशालय की भूमिका का मूल्यांकन करना, राजस्थान

में महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक स्थिति का आंकलन करना एवं राजस्थान महिला सशक्तिकरण से संबंधित योजनाओं के आंकड़ों तथा वस्तु स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन करना, महिला सशक्तिकरण हेतु राजस्थान सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं में आ रही बाधाओं और समस्याओं की पहचान करना, महिलाओं के उत्थान के लिए एवं व्यावहारिक, व्यक्तिगत सुझाव प्रस्तुत करना, महिला सशक्तिकरण हेतु संचालित महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं की स्थिति में सुधार करना, महिला सशक्तिकरण के विकास के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करना, महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूकता का आंकलन करना, बेहद गरीबी परिस्थितियों में ऐसे कमजोर वर्गों के विकास के लिए राज्य सरकार के प्रयासों का विवेचन करना, महिलाओं के विरूद्ध हो रहे अपराधों को रोकने के लिए बनाए गए कानूनों के क्रियान्वयन में सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा किए गए प्रयासों का मूल्यांकन करना आदि है।

राजस्थान में महिलाओं के सामाजिक, सांस्कृति राजनीतिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण हेतु निम्न सुझावों की ओर ध्यान आकृषित किया जाता है, ताकि देश की आधी आबादी विकास की मुख्यधारा में शामिल होकर सशक्त हो सकें।

1. महिला सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय नीतिगत व कानूनी उपायों को साकार करने हेतु राजकीय संस्थाएं, गैर राजकीय संस्थाएं तथा सामाजिक संगठनों, महिला संगठनों तथा मीडिया कर्मियों और निजी क्षेत्र की सतत् साझेदारी आधारित सक्रिय भूमिका अपेक्षित है।
2. उपलब्ध समस्त संसाधनों एवं विकास के सभी अवसरों तक महिलाओं की पहुंच को बढ़ाने के सभी प्रयास किये जाने चाहिए ताकि विकास में सहभागी बनते हुए वे उनका समुचित लाभ उठा सके।
3. महिलाओं को उपलब्ध अधिकारों के प्रति स्व चेतना व जागृति बढ़ाई जाकर उन्हें निर्णायक भूमिका में लाने का प्रयास किया जाना चाहिये।
4. महिलाओं में नेत्त्व क्षमता, प्रशासनिक कुशलता, प्रबंध योग्यता, भाषण क्षमता बौद्धिक चातुर्यता, सामाजिक कार्यों में सहभागिता, दूरदर्शिता, परिश्रम, संघर्षशीलता, कुशल संचार क्षमता आदि गुणों को विकसित करने के लिए सरकारों को योजनाबद्ध तरीके से प्रयास करने चाहिए।
5. समाज में व्याप्त अंधविश्वास, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, डाकन प्रथा जैसी कुप्रथाओं के उन्मूलन हेतु समाज में जागरूकता के प्रचार–प्रसार हेतु विभिन्न संचार माध्यमों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग लिया जाना चाहिये।
6. प्रत्येक स्तर पर महिला आयोग एवं सलाहकार बोर्ड स्थापित किये जाने चाहिये ताकि स्थानीय स्तर पर महिलाओं को समुचित परामर्श सेवा एवं समस्याओं का समाधान हो सके।
7. महिलाओं को उनके राजनीतिक व आर्थिक अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में महिला मण्डल या महिला समितियों का गठन कर उनके द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम, चर्चा सभा, महिला सम्मेलन, आमुखीकरण कार्यशाला आदि आयोजित किये जाने चाहिए, जिसमें कम शिक्षित एवं ग्रामीण महिलाओं को अधिकाधिक संख्या में सम्भागी के रूप में शामिल किया जाना चाहिये।
8. महिलाओं के विरूद्ध होने वाली हिंसात्मक घटनाओं जैसे सार्वजनिक स्थान पर अश्लील बर्ताव, बलात्कार, घरों को जलाना, अत्याचार आदि अपराधों के संबंध में पुलिस थानों में समूचित धाराओं में मुकदमें दर्ज करने चाहिये तथा इनसे संबंधित कानूनों का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाना चाहिये।
9. पारिवारिक न्यायालयों को सुदृढ़ व अधिक प्रभावी बनाया जाकर महिलाओं से संबंधित विवादों के शीघ्र निस्तारण हेतु विज्ञ अधिवक्ताओं को पैरवी के लिए नियुक्त किया जाना चाहिये।

10. हिंसात्मक घटनाओं से पीड़ित महिलाओं की सहायता के लिए स्वयं सेवी संस्थाओं को आगे आकर उनके पुनर्वास की व्यवस्था करनी चाहिये।
11. सरकार व स्वयंसेवी सामाजिक संगठनों को दहेज प्रथा को निरूत्साहित करने के लिए कानून और जन जागरण के माध्यम से लोगों को इसका परित्याग करने को विवश करने वाला माहौल बनाना होगा।
12. समाज में व्याप्त बेटा–बेटी के भेदभाव की मानसिकता को बदलने के लिए आधुनिक संचार माध्यमों, पत्र–पत्रिकाओं, शैक्षिक संस्थानों, पाठ्यक्रम तथा स्वयंसेवी संस्थाओं का सक्रिय सहयोग व सहभागिता प्रमुख भूमिका निभा सकते है।
13. अश्लील विज्ञापनों, साहित्य, पत्रिकाओं एवं टेलीविजन पर दिखाये जाने वाले अश्लील फिल्मों तथा महिलाओं की छवि बिगाड़ने वाली फिल्मों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिये।
14. राजनीतिक दलों द्वारा अधिकाधिक संख्या में महिलाओं को प्रत्याशी बनाया जाना चाहिए तथा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन कर ऐसा प्रावधान करना चाहिए कि प्रत्येक मान्यता प्राप्त दल अनिवार्य रूप से 50 प्रतिशत निर्वाचन क्षेत्रों में महिलाओं को ही उम्मीदवार के रूप में नामांकित करें।
15. जिन पंचायती राज संस्थाओं की अध्यक्ष महिला हैं, उन संस्थाओं को अतिरिक्त बजट आवंटन किया जाकर उन्हें अधिकाधिक विकास कार्य सम्पादित करने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
16. महिला जनप्रतिनिधियों को वित्तीय संसाधनों जैसे सरकारी अनुदान, योजनाओं, करों आदि के बारे में संपूर्ण जानकारी उनकी आम भाषा में बार–बार प्रशिक्षण कार्यक्रमों व कार्यशलाओं के माध्यम से उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
17. महिलाओं को शिक्षण शुल्क, शुल्क मुक्ति, एवं छात्रवृत्ति जैसी वित्तीय सहायता में वृद्धि एवं जागृति व संवदेना उत्पन्न करने के लिए स्वयं सेवी संगठनों की सक्रिय सहभागिता को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
18. बालिकाओं से संबंधित शिक्षण संस्थाओं में शिक्षकों व व्याख्याताओं के समस्त पद भरे होने चाहिये तथा आवश्यक बुनियादी सुविधाओं तथा शैक्षिक उपकरणों की एवं उनकी मरम्मत हेतु अलग से बजट प्रावधान किया जाना चाहिये।
19. महिला स्वास्थ्यवर्धन हेतु समस्त अस्पतालों में पर्याप्त चिकित्सकों व अन्य कार्मिकों की उपस्थित, आवश्यक सुविधाओं और दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए।
20. महिलाओं के स्वास्थ्य व शिक्षा रोजगार, प्रशिक्षण, कौशल विकास के लिए संचालित योजनाओं को क्रियान्वित करने वाले विभागों में अत्यधिक भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त होती है तथा इन योजनाओं का क्रियान्वन निर्धारित मापदण्डों के अनुसार नहीं होता है। अतः इन कार्यक्रमों के संचालन हेतु निगरानी व्यवस्था को सशक्त, पारदर्शी व अधिकारयुक्त बनाया जाना चाहिए।
21. जेंडर संबंधी प्रशिक्षण व वार्ताओं द्वारा जेंडर संबंधी मुद्दों को निरंतर उठाने की तथा महिलाओं के प्रति पुरूष सदस्यों की मानसिकता व सोच में बदलाव एवं महिलाओं को हीनता की भावना से ऊपर उठने एवं स्वयं की क्षमताओं पर विश्वास करने की आवश्कता है।
22. निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु संविधान के अनुच्छेद 80 व 171 में संशोधन कर राज्य सभा और विधान परिषदों में भी चुने जाने वाले या नामांकित पदों पर महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण लागू किया जाना चाहिये।

23. यदि हम हमारी प्राचीन संस्कृति व मूल्यों का स्मरण रखेंगें तो हम महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों को नियंत्रित कर सकते हैं।
24. महिला सशक्तिकरण की योजनाओं और कार्यक्रमों के लिये आंवटित बजट शत प्रतिशत समुचित उपयोग निर्धारित समयावधि में किया जाना चाहिए।

उक्त सुझावों को ध्यान में रखते हुये यदि महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रमों को संचालित किया जाता है तो निश्चित रूप से महिलाओं का सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व राजनीतिक सशक्तिकरण होगा, ऐसी आशा की जाती है।

***सहायक प्राफेसर**
लोक प्रशासन विभाग
एस.एस.जैन सुबोध पी.जी. महाविद्यालय,
जयपुर (राज.)
****शोधार्थी**
राजनीतिक विज्ञान विभाग

संदर्भ–सूची

1. धावन हरिमोहन, अरूण कुमार, महिला आरक्षण एवं भारतीय समाज, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर 2011,
2. खेतान डॉ. प्रभा, स्त्रीः उपेक्षिता, सरस्वती विहार दिल्ली 1994,
3. शर्मा कालू राम, डॉ. प्रकाश व्यास राजस्थान का इतिहास, पंचशील प्रकाशन जयपुर 2018
4. शर्मा हरिशंकर, पावा डॉ. सरोज आधुनिक भारत का इतिहास, जयपुर पब्लिशिंग हाउस जयपुर 2015
5. कश्यप सुभाष, भारत का संविधान, नेशनल बुक ट्रस्ट इण्डिया 2016
6. महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013, मॉर्डन लॉ हाउस प्राईवेट लिमिटेड इलाहबाद 2017
7. मोदी डॉ़. अनीता, महिला सशक्तिकरण : विविध आयम, वाईकिंग बुक्स जयपुर
8. मनुस्मृति 3.56
9. भारत 2016 वार्षिक संदर्भ ग्रंथ प्रकाशन विभाग सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार
10. भारत का संविधान, कानून प्रकाशक, जयपुर 2016